न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 10/2018

अपीलांट

श्रीमती उषा पत्नी शिवकुमार पारीक जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करणीनगर सिरोही तहसील व जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 05.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा मुकदमा संख्या 68/2017 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2017 अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 91 कुल रकबा 07500 हैक्टेयर में से 0.4000 हैक्टेयर भूमि पर अकृषि कार्य करने के संबध मे प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग कृषि कार्य हेतु करता है। उक्त कृषि भूमि के किसी भी भाग में गैर कृषिक उपयोग आज तक नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संबध में बिना कोई जांच या साक्ष्य लिये अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुसार नहीं है उस कोई कोर्ट फीस अदा नहीं की गई है, तथा प्रार्थना पत्र के साथ जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है वह भी विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उक्त शपथ पत्र तस्दीक शुदा है। अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि में बारिश के समय पास ही स्थित खान से मलबा बहकर कुछ जगह फेल गया था, जिसे कुछ समय पश्चात अपीलांट द्वारा हटा दिया गया था। अपीलांट ने अपने खातेदारी कृषि भूमि का कभी भी गैर कृषिक उपयोग नहीं किया है एवं न ही उक्त भूमि पर क्रेशर की कंकरीट का भंडारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की नोटिस विधि अनुसार तामिल नहीं हुए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से तामिल मानते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 91 कुल रकबा 07500 हैक्टेयर में से 0.4000 हैक्टेयर भूमि पर अकृषि कार्य करने के संबध मे के संबध प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका फर्द दिनांक 18.10.2017 में यह स्पष्ट अंकन है कि अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 91 रकबा 0.7500 भूमि पर कंकरीट डालकर गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 91 कुल रकबा 07500 हैक्टेयर में से 0.4000 हैक्टेयर भूमि पर अकृषि कार्य करने के संबध मे के संबध प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस पर "प्रार्थी घर पर नहीं मिलने से उसके मकान पर चस्पा किया मोके पर गवाह ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तामिल शुदा पेश है" की रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को जारी नोटिस पर दो मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे उक्त तामिल विधि अनुसार माना जाना उचित नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधि अनुसार तामिल कराये बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा मुकदमा संख्या 68/2017 में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय दिनांक 22.12.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देशो के साथ के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर मौके की पुनः जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली